न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 206/2021

अनवान : -

1 सन्दीप कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।

:- वादी

बनाम

1. राहिल पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
2. बृजलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
3. मोनिका पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबंधक जोगीवाला।

:-प्रतिवादीगण

दावा बावत : खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर बैनीवाल : वादी

वकील श्री उम्मेद मोठसरा :प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 15 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 110/105 के मु0 न0 17 के किला न0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.0240है0, मु0 न0 24 किला न0 1, 2, 3 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल 2.2770है0 जिसमे नहरी 2.2380है0, गै0 मु0 रास्ता 0.039है0, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 24 कुल 3.0360है0 जिसमें बारानी 2.9840है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0, मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 कुल 3.2890है0 बारानी कुल रकबा 10.6260है0 जिसमे नहरी 4.2620है0, बारानी 6.2730है0, गै0 मु0 रास्ता 0.091है0 में वादी के नाम 236 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 के नाम 324हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के नाम 20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 के नाम 260 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा मीट्स एण्ड बाऊण्ड से अर्सा 10 वर्ष पहले हो चुका है। पक्षकारान अपने बाहमी बंटवारा के मुताबिक अपने हिस्से की भूमि काश्त करते आ रहे है। महज कागजात माल में खाता मुश्तर्का दर्ज है चूंकि पक्षकारान का खाता काफी बड़ा है तथा पक्षकारान के मध्य काश्त व लगान की बाबत तनाव होता रहता है, इसलिए वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक बाहमी बंटवारा अपने हिस्सो का खाता व लगान अलग कायम करवा पाने का कानूनी मजाज

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की ओर से आपसी

सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 स्टेट 4 व प्रतिवादी स0 6 की नालिल हो चुकी है। प्रतिवादी स0 5 व 6 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। वकील वादी व प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अनापति जाहिर की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दि गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे वादी ने 15 जेजीडब्ल्यू के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी रोही मौजा रोही मौजा 15 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 110/105 के मु0 न0 17 के किला न0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.0240है0, मु0 न0 24 किला न0 1, 2, 3 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल 2.2770है0 जिसमे नहरी 2.2380है0, गै0 मु0 रास्ता 0.039है0, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 24 कुल 3.0360है0 जिसमें बारानी 2.9340है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0, मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 कुल 3.2890है0 बारानी कुल रकबा 10.6260है0 जिसमें नहरी 4.2620है0, बारानी 6.2730है0, गै0 मु0 रास्ता 0.091है0 में वादी के नाम 236 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के नाम 324हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के नाम 20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 के नाम 260 हिस्सा इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत . वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रोही मौजा 15 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 110/105 के मु0 न0 17 के किला न0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.0240है0, मु0 न0 24 किला न0 1, 2, 3 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल 2.2770है0 जिसमे नहरी 2.2380है0, गै0 मु0 रास्ता 0.039है0, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 24 कुल 3.0360है0 जिसमें बारानी 2.9340है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0, मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 कुल 3.2890है0 बारानी कुल रकबा 10.6260है0 जिसमें नहरी 4.2620है0, बारानी 6.2730है0, गै0 मु0 रास्ता 0.091है0 में वादी के नाम 236 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 के नाम 324हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के नाम 20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 के नाम 260 हिस्सा खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रंगदार नक्शा दिनांक 03.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। सभी पक्षकारानों ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अत. तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

1 हिस्सा सन्दीप कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट सा0 देह खातेदार:-

चक 15 जेजीडब्ल्यू, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 14 की 1.012है0 किला न0 17 ता 20 की 1.012है0, किला न0 21 ता 24/1 की 0.960है0, किला न0 21 ता 24/2 की 0.052है0 गै0 मु0 रास्ता कुल रकबा 2.984है0 बारानी।

Scanned with CamScanner

2 हिस्सा बृजलाल पुत्र जगदीश, मोनिका पत्नी कृष्ण कुमार, साहिल पुत्र भीमसिंह जाति जाट सा देह खातेदार :–

चक 15 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 17 के किला न0 8, 9 कुल 0.506है0, किला न0 12, 13 कुल 0.506है0, किला न0 18, 19 कुल 0.506है0, किला न0 22, 23 कुल 0.506है0 कुल 2.624है0 नहरी, मु0 न0 24 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 2.277है0 नहरी मय रास्ता, मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 4, 7ता 14, 17 कुल 3.289है0 बारानी, 4.2.2है0 नहरी, गै0 मु0 रास्ता 0.0910है0।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.1.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 206/2021

अनवान :

1 सन्दीप कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।

: वादी

बनाम

1. साहिल पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
2. बृजलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
3. मोनिका पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी पटवा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. बैंक ऑफ बडोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबंधक जोगीवाला।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री [illegible] तथा वकील प्रतिवादी [illegible] की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तूत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही [illegible] रोही मौजा रोही मौजा 15 जेजीडब्ल्यू के खाता स0 110/105 के मु0 न0 17 के किला न0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.0240है0, मु0 न0 24 किला न0 1, 2, 3 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल 2.2770है0 जिसमे नहरी 2.238है0 गै0 मु0 रास्ता 0.039है0, मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 24 कुल 3.0360है0 जिसमे बारानी 2.9840है0 गै0 मु0 रास्ता 0.052है0, मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 कुल 3.2890है0 बारानी कुल रकबा 10.6260है0 जिसमे नहरी 4.2620है0, बारानी 6.2730है0, गै0 मु0 रास्ता 0.091है0 मे वादी के नाम 236 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के नाम 324हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के नाम 20 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 के नाम 260 हिस्सा खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक [illegible] रिपोर्ट [illegible] मय नक्शा दिनांक 03.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। सभी पक्षकारानों ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है-

Scanned with CamScanner

1 हिस्सा सन्दीप कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट सा0 देह खातेदार:–

चक 15 जेजीडब्ल्यू मु0 न0 27 के किला न0 11 ता 14 की 1.012है0, किला न0 17 ता 20 की 1.012है0, किला न0 21 ता 24/1 की 0.960है0, किला न0 21 ता 24/2 की 0.052है0 गै0 मु0 रास्ता कुल रकबा 2.984है0 बारानी।

2 हिस्सा बृजलाल पुत्र जगदीश, मोनिका पत्नी कृष्ण कुमार, साहिल पुत्र भीमसिंह जाति जाट सा देह खातेदार :–

चक 15 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 17 के किला न0 8, 9 कुल 0.506है0, किला न0 12, 13 कुल 0.506है0, किला न0 18, 19 कुल 0.506है0, किला न0 22, 23 कुल 0.506है0 कुल 2.624है0 नहरी, मु0 न0 24 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 2.277है0 नहरी गय रास्ता, मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 4, 7ता 14, 17 कुल 3.289है0 बारानी, 4.262है0 नहरी, गै0 मु0 रास्ता 0.0910है0।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.1.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner